

भादूविप्रा द्वारा ऑनलाइन मोड के माध्यम से उपभोक्ता संपर्क कार्यक्रम आयोजित किया गया

नई दिल्ली, 19 जून, 2020 – भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (भादूविप्रा) ने आज अपने क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल के जरिये ऑनलाइन मोड के माध्यम से उपभोक्ता संपर्क कार्यक्रम आयोजित किया है।

2. भादूविप्रा का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य उपभोक्ता हितों की रक्षा करना और उपभोक्ताओं के बीच जागरूकता पैदा करना है। इस उद्देश्य के लिए, भादूविप्रा देश के विभिन्न हिस्सों में उपभोक्ता संपर्क कार्यक्रम आयोजित करता है। कोरोना वायरस महामारी की वर्तमान स्थिति में, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से ऐसे कार्यक्रम आयोजित करने का निर्णय लिया गया, जिसमें उपभोक्ता अपने घर, दुकान या कार्यालय में बैठकर शामिल हो सकते हैं।
3. इस कार्यक्रम में, छत्तीसगढ़ राज्य के दूरसंचार उपभोक्ताओं के अलावा, छत्तीसगढ़ के विभिन्न गाँवों से बड़ी संख्या में कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) के प्रभारियों, उपभोक्ता पक्षसमर्थक समूह (सीएजी) के प्रतिनिधि, दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के प्रतिनिधि सरकार के अधिकारियों और जनता ने बड़ी संख्या (लगभग 350) में भाग लिया है।
4. कार्यक्रम के दौरान, उपभोक्ताओं को दूरसंचार सेवाओं के विभिन्न पहलुओं अर्थात् मूल्य वर्धित सेवाओं (वीएस), अनचाही वाणिज्यिक संचार (यूसीसी), मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी, शिकायत निवारण तंत्र, डेटा सेवाओं के संबंध में उनके अधिकारों के बारे में शिक्षित किया गया था। उपभोक्ताओं को विभिन्न मोबाइल ऐप जैसे ट्राई-माई-स्पीड ऐप, ट्राई माय-कॉल ऐप और ट्राई द्वारा विकसित डीएनडी ऐप और उपभोक्ता इन ऐप/पोर्टल का लाभ कैसे उठा सकते हैं, के बारे में बताया गया, जो उपभोक्ता सशक्तीकरण के लिए विकसित किए गए हैं। उपभोक्ताओं को टॉवर धोखाधड़ी और इसके संबंध में सावधानी बरतने के बारे में भी बताया गया।
5. इंटरैक्टिव सत्र के दौरान श्री विनोद गुप्ता, सलाहकार, भादूविप्रा द्वारा प्रतिभागियों के कई सवालों के जवाब दिए गए।
6. किसी भी स्पष्टीकरण के लिए, श्री संजीव बंजाल, सलाहकार (सीए और आईटी), भादूविप्रा से टेलीफोन 011-23210990 या ईमेल आईडी: [advisorit@trai.gov.in](mailto:advisorit@trai.gov.in) द्वारा संपर्क किया जा सकता है।

(एस. के. गुप्ता)

सचिव, भादूविप्रा

अस्वीकरण: यह विज्ञप्ति मूलरूप से अंग्रेजी में लिखित विज्ञप्ति का हिंदी अनुवाद है। यदि इसमें कोई विसंगति परिलक्षित होती है तो अंग्रेजी में लिखित यह विज्ञप्ति मान्य होगी।